न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या ***12/2011***

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
शिंभूसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी टांगला तहसील जायल		1पुरखाराम पुत्र गणेशराम जाति जाट 2महेन्द्रसिंह पुत्र दशरथसिंह जाति राजपूत निवासीगण टांगला तहसील जायल 3तहसीलदार, जायल

उपस्थिति –

1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री पवन श्रीमाली, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री महेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से।
4. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.06.19

{1}–मामले का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार जायल द्वारा ग्राम टांगला के खसरा नं. 345 में से 2.10 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट सं.1 पुरखाराम के पक्ष में नामन्तरकरण सं. 392 दिनांक 27.01.2011 को स्वीकार किया गया, से सम्बन्धित अधीनस्थ तहसीलदार के आदेश से असन्तुष्ट होकर दिनांक 28.02.2011 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को सुनवाई हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अदालत मातहत से मूल रेकर्ड तलब किया गया, जो तहसीलदार (भू अभिलेख) जायल के पत्रांक 845 दिनांक 26.04.11 के द्वारा प्राप्त हुआ। अपीलांट ने अपने अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 392 दिनांक 27.01.11 की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर की फर्द अहकाम दिनांक 15.10.2009 से 28.01.2011 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश, (क.,ख.) जायल के दीवानी विविध प्र.सं. 25/2008 शिंभूसिंह बनाम पुरखाराम में पारित आदेश दिनांक 01.12.08 की प्रमाणित प्रतिलिपि, न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के निगरानी टी.ए. सं. 465/11 शिंभूसिंह बनाम सुमेरसिंह के फर्द अहकाम दिनांक 01.02.11 की प्रति, तथा न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र एल.आर. 8793/11 शिंभूसिंह बनाम हरीराम व अन्य में फर्द अहकाम दिनांक 16.12.11 से 20.12.11 की प्रति तथा रेस्पोडेन्ट सं.1 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर की अपील सं. 49/2008 शिंभुसिंह बनाम सुमेरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 25.01.11 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सहायक कलक्टर, जायल के राजस्व वाद सं. 283/87 में दिनांक 15.09.87 में बयान गवाह(शिंभूसिंह) की फोटोप्रति तथा न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के निर्णय दिनांक 13.08.15 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है।

{2}–रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से श्री पवन श्रीमाली, रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से महेन्द्र सिंह व रेस्पाडेन्ट सं. 3 की ओर से कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपिस्थत आये।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–बहस वकुलाय उभयपक्षकारान् सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि –

{3}(1)– अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृति आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

{3}(2)– विवादित भूमि अपीलांट के पिता किशोरसिंह की जमीन है। जो संपूर्ण अपीलांट शिम्भूसिंह के स्वामित्व में रहती आयी है। मगर अकेले भाई के नाम खातेदारी इन्द्राज हो जाने से दशरथ सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्र दशरथसिंह से रेस्पोडेन्ट सं. 1 पुरखाराम ने बेचान करवा लिया। आराजी को लेकर राजस्व मंडल में मामला विचाराधीन है तथा एक अन्य पत्रावली में राजस्व मंडल से रिमाण्ड होकर वर्तमान में स्टे भी है। विवादित खेत खसरा नं. 345 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा मौजा टांगला सहित अन्य खेताय बाबत सक्षम राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर, जायल के समक्ष घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व बंटवाडा आदि बाबत वाद सन् 2006 से विचाराधीन है। विवादित विक्रय पत्र जिसके आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उसको निरस्ती हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वाद 2008 से वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने के दौरान किसी भी प्रकार से नामान्तरकरण दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। नामान्तरकरण की प्रोसिडिंग एक फिसकल प्रोसिडिंग की श्रेणी में आती है। जिससे पक्षकारान के अधिकार तय नहीं होते है जब किसी मामले में सक्षम अधिकारिता प्राप्त न्यायालय के समक्ष विवाद विचाराधीन हो तो तब तक किसी भी प्रकार की फिसकल प्रोसिडिंग की जानी उचित एवं न्याय संगत नहीं थी। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय में विवाद विचाराधीन रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी विधि संगत थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व जाकर नामान्तकरण स्वीकृत करने में विधिक भूल की है। इसलिये भी अपीलाधीन म्यूटेशन व आदेश निरस्त होने योग्य है।

{3}(3)– विवादग्रस्त जायगा अपीलार्थी के बंटसुदा कब्जा सुदा जायगा है तथा विवादित जायगा में अपीलार्थी का बाडा बना हुआ है एवं मौके पर कब्जा है। प्रत्यर्थी सं. 1 का मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है व न ही भौतिक कब्जा हस्तान्तरित ही हुआ है। ऐसी स्थिति में विवादित म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व विधि अनुसार कब्जे बाबत जांच की जानी आवश्यक थी। कब्जे के अभाव में म्यूटेशन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन म्यूटेशन व आदेश निरस्त होने योग्य है।

{3}(4)– विवादित खेत के संबंध में सक्षम राजस्व न्यायालय में व सिविल न्यायालय में विवाद विचाराधीन है। जिसमें न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। जो स्थगन आदेश 2008 से लेकर आज दिन तक प्रभावी है तथा उक्त प्रकरणों में प्रत्यर्थी सं. 3 भी पक्षकार है। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश के दौरान किसी भी प्रकार से म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना उचित व न्याय संगत नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक भूल की है। इसलिये भी नामान्तरकरण व आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}(5)– अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सभी पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया व नही सभी पक्षकारान को सुनवायी का अवसर ही दिया गया व न ही कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच की गई जो अपीलाधीन म्यूटेशन के अवलोकन मात्र से पूर्ण रूप से साबित है। ऐसी स्थिति में बिना प्रक्रिया की पालना किये अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। इसलिये भी अपीलाधीन म्यूटेशन व आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

{4}– वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा तर्क दिया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 पुरखाराम ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 महेन्द्रसिंह के विधिक स्वामित्व की भूमि मौजा टांगला के खसरा नं. 345 में से 2.10 बीघा आराजी भूमि जरिये रजि. बेचाननामें दिनांक 01.05.08 के क्रय की है तथा उक्त बेचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है। जो सही है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा एक अन्य अपील सं. 11/2011 शिम्भूसिंह बनाम हरीराम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की। जिसमें निर्णय दिनांक 13.08.15 के द्वारा इसी प्रकृति के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की गई है।

{5}– राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील की कार्यवाही की गई है। जो विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखी जानी चाहिये।

{6}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में आराजी भूमि को लेकर सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन होने को लेकर दोनों पक्षों में कोई विरोधाभासी तथ्य नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है तथा इससे पक्षकारों का स्वत्व सृजित नहीं होता है। पक्षकारों के अधिकार नियमित वाद से ही तय होने है। ऐसी स्थिति में उक्त खेत के संबंध में सक्षम दीवानी न्यायालय व राजस्व न्यायालय में विवाद विचाराधीन है, जहां से प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण होना है। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण कार्यवाही विधिक स्वामित्व की भूमि के बेचान के आधार पर की गई है। जो विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{7}–उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{8}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर